–::निर्णय::–

दिनांक 14.11.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री भवानी सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पत्र व्यवहार हेतु पंजीकृत व प्रमाणिक पता शीर्षक प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि चक 6 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 128/69 के पत्थर नंबर 118/213 (34) किला नंबर 25, पत्थर नंबर 118/214 (47) किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर नंबर 118/215 (60) किला नंबर 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 कुल 2.024 है। नहरी मय गैरमुमकिन खाला दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व व उत्तरी ओर अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि चक 6 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 248/121 के पत्थर नंबर 118/213 (34) किला नंबर 16/3, पत्थर नबर 119/213 (33) किला नंबर 19, 20, 21, 22, पत्थर नंबर 119/214 (48) किला नंबर 12/1, 21, 22 कुल 1.657 हैक्टेयर नहरी दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मंजूर शुदा रास्ता नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की काश्त हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की आत्यातिक आवश्यकता है।

यह कि अप्रार्थीया संख्या 1 की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के पत्थर नंबर 119/213 (33) के किला नंबर 19 व 22 हनुमानगढ़-अबोहर मुख्य सड़क के चिपते हुए है, इसलिए प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि के पत्थर नंबर 119/213 (33) के किला नंबर 19 व 20 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा पत्थर नंबर 118/213 (34) के किला नंबर 16/3 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 115 फुट लम्बा व

11 फुट चौड़ा तथा इसी किला के उत्तर से दक्षिण की ओर 1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा रास्ता जो सबसे कम दूरी का निकटतम रास्ता है, स्वीकृत करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के पत्थर नंबर 118/213 (34) के किला नंबर 25 में उत्तरी सिरा पर मध्य से पूर्व से पश्चिम 50 फुट लम्बा व 11 फुट चौड़ा स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए नजदीक व सुलभ है। उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अर्सा दो दिवस पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया संख्या से निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु अपनी कृषि भूमि में उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत करवा देवें तो उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या 1 ने सहमतिपूर्वक स्वीकृत करवाने में सहमत है तथा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि/राशि लेना तय नहीं हुआ है फिर भी प्रार्थीगण धारा 251-ए के तहत माननीय न्यायालय द्वारा पारित रास्ता के संबंध में शर्तों की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

8-यह कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि चक 6 के.के. डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 119/213 (33) के किला नंबर 19 व 20 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा पत्थर नंबर 118/213 (34) के किला नंबर 16/3 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 115 फुट लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा इसी किला के उत्तर से दक्षिण की ओर 1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के पत्थर नंबर 118/213 (34) किला नंबर 25 में उत्तरी सिरा पर मध्य से पूर्व से पश्चिम 50 फुट लम्बा व 11 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत फरमाया जाये तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में प्रविष्टि दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश झाझडिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 हाजिर आकर जवाब सहमति राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-2025/849

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व जवाब सहमति का अवलोकन व अध्ययन किया या। मुताबिक जवाब के प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता है। याचित रास्ते द्वारा ही प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटत्तम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे मजदीक रास्ता नजरी नक्शा रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि चक 6 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 119/213 (33) के किला नंबर 19 व 20 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा पत्थर नंबर 118/213 (34) के किला नंबर 16/3 में उत्तरी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 115 फुट लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा इसी किला के उत्तर से दक्षिण की ओर 1 बीघा लम्बा व 11 फुट चौड़ा तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के पत्थर नंबर 118/213 (34) किला नंबर 25 में उत्तरी सिरा पर मध्य से पूर्व से पश्चिम 50 फुट लम्बा व 11 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ